राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 2181/2008/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सीमावत यार्ड एजेन्सी,
कापरवां खेड़ा (गुजरात) .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार सूचना जरिये प्रकाशन के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 10.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 662/आरएसटी/एनआरडी/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 08.07.1999 को वाहन संख्या डी.एन.जी.–0582 को आयरन सीट्स परिवहनित करते हुए शाहजहांपुर चैक पोस्ट पर चेक किया गया। वाहन चालक/मालप्रभारी से परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया कि परिवहनित माल दिल्ली से खेड़ा,गुजरात के लिये परिवहन हो रहा था। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ जयपुर के नम्बर की पर्ची मिलने के कारण सन्देह होने पर, कर निर्धारण अधिकारी माल प्रभारी/वाहन चालक को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में माल मालिक श्री बनवारी लाल शर्मा ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाई द्वारा मिथ्या दस्तावेजों के जरिये कर चोरी की नियत से माल परिवहनीत करने का दोषी मानकर, परिवहनित माल कीमतन रू0 1,82,600/– पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति रू0 54,780/–, कर रू0 7,304/–, सरचार्ज रू0 876/– कुल रू0 62,960/–व्यवसायी की विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 05.08.1999 द्वारा आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.11.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित

लगातार.....2

मांग को को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी को दस्तावेजों में किसी प्रकार का संशय था, तो उनको चाहिये था कि वे प्रस्तुत दस्तावेजों की गहनता से एवं स्वतंत्र जॉच करते एवं तत्पश्चात् उन्हें मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित करते। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि परिवहनित माल राज्य में कहीं उतारा अथवा बेचा गया है, जिसको कि सिद्ध करने का काम विभाग का है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में विवादित माल गुजरात राज्य में पहुंचने सम्बन्धी नगरपालिका गुजरात की रसीद संलग्न है, जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित माल गुजरात राज्य में पहुंच चुका है अतः राजस्थान राज्य के कर का अपवंचन प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवहनित माल राज्य बाहर दिल्ली से राज्य बाहर गुजरात के लिये परिवहनित होने एवं वांछित दस्तावेजों से समर्थित होने के कारण, आरोपित मांग को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् आरोपित कर, सरचार्ज व शास्ति अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर ही आरोपित मांग को अपास्त किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 22.11.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष